

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI-110 001.

No. 4-16(63)/2014-HR-II


Dated: 11.09.2014

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Reimbursement of stamp duty and registration fee in regard to the documents including reconveyance deed pertaining to House Building Advance – reg.

In partial modification of CSIR letter No. 16(63)/85-E.II dated 13.03.1990 on the subject cited above, Director General, CSIR in consultation with Legal Adviser, CSIR has approved amendment of Para (a) of the ibid letter as under:

Existing Para (a)	Amended Para (a)
Reimbursement of stamp duty shall be made to the Council employees only if the Central Government employees are exempt from payment of such stamp duty by the concerned State Govt., as per extent CSIR instructions subject to production of a certificate from concerned Registrar of Stamp that the Central Government employees are exempt from payment of stamp duty. This certificate is to be produced by the Council employee to the Head of Office along with the reimbursement claim	Reimbursement of stamp duty shall be made to the Council employees only if the Central Government employees are exempt from payment of such stamp duty by the concerned State Govt., as per extent CSIR instructions and if the applicable act has the inherent provision of exemption in favour of the Government employee, the reimbursement is to be processed by the office and the necessity of obtaining certificate from the concerned Registrar of stamp need not be insisted upon.


11/09/2014
(Anjum Sharma)
Under Secretary (HR-II)

Copy to:

1. Directors/Heads of all National Labs/Instts.
2. Sr. COAs/COAs/AOs/Sr. Dy. FAs/Dy. FAs/F&AOs of all National Labs/Instts.
3. P.S. O/o of DG, CSIR
4. P.S. O/o of J.S. (A), CSIR
5. PA to FA, CSIR.
- ✓ 6. Head, IT with the request to upload this on CSIR website.
7. Office copy.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

सं.4-16(63)/2014-एचआर-II

दिनांक: 11.09.2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित प्रतिहस्तांतरण विलेख सहित दस्तावेजों के संबंध में स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति विषयक

उपर्युक्त विषयक सीएसआईआर के दिनांक 13.03.1990 के पत्र सं. 16(63)/85-ई.II का आंशिक आशोधन करते हुए, महानिदेशक, सीएसआईआर ने विधि सलाहकार, सीएसआईआर से परामर्श करके उक्त पत्र के पैरा (क) के निम्नवत संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है:

वर्तमान पैरा (क)

सीएसआईआर के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार परिषद कर्मचारियों को स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे स्टांप शुल्क के भुगतान से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मुक्त रखा गया हो तथा संबंधित स्टांप रजिस्ट्रार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी स्टांप शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। परिषद कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति दावे के साथ यह प्रमाण पत्र कार्यालय प्रधान को प्रस्तुत करना है।

संशोधित पैरा (क)

सीएसआईआर के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार परिषद कर्मचारियों को स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ऐसे स्टांप शुल्क से मुक्त रखा गया हो और यदि इस लागू अधिनियम में सरकारी कर्मचारी के पक्ष में छूट का प्रावधान निहित है, तो कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए कार्रवाई की जानी है और संबंधित स्टांप रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देने की जरूरत नहीं है।

8/21

(अंजुम शर्मा)

अवर सचिव (एचआर-II)

प्रति:

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
2. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखाधिकारी
3. निजी सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
- ✓ 6. प्रमुख, आईटी डिविज़न - इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
7. कार्यालय प्रति